आवेदन का निपटारा

(i) विधिक सहायता या परामर्श का आवेदन प्राप्त होने पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति या जिला प्राधिकार के सचिव आवेदन की समीक्षा करेगा तथा आवेदन पर यथाशीघ्र तथा अधि मानत: एक माह के भीतर निर्णय ले लिया जाएगा ।

(ii) जिस जिला प्राधिकार/समिति को आवेदन किया जाएगा वह आवेदन पर विचार कर आवेदक की पात्रता के संबंध में निर्णय लेगा तथा विधिक सहायता प्रदान करने या अस्वीकृत करने संबंधी उसका निर्णय अन्तिम होगा ।

(iii) जहाँ विधिक सहायता प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया जाएगा वहाँ ऐसा निर्णय लिए जाने का कारण जिला प्राधिकार/समिति द्वारा आवेदनों के लिए रखे गए रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाएगा और इस आशय की लिखित सूचना आवेदक को भी दी जाएगी ।

(iv) विधिक सहायता या परामर्श का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि संबद्ध प्राधिकार/समिति का समाधान हो जाए कि–

- ✶ आवेदक ने जान-बुझकर मिथ्या कथन किया है या मामला अथवा अपने साधन स्रोत या निवास स्थान के संबंध में गलत जानकारी दी है, या
- ✶ किसी विधि न्यायालय में चलाने हेतु प्रस्तावित किए जाने वाले अनुध्यात सिविल, आपराधिक या राजस्व या किसी अन्य मामलों में ऐसी कार्यवाहियाँ चलाए जाने का प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता हो, या
- ✶ विनिमय 19 के अधीन या अधिनियम तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के किसी अन्य उपबंध के अधीन आवेदक विधिक सहायता या परामर्श पाने का हकदार नहीं है,
- ✶ मामले के सभी परिस्थितियों को देखते हुए उसे विधिक सहायता या परामर्श प्रदान करना अन्यथा न्यायोचित या युक्तियुक्त नहीं है।

लोक अदालत

बिहार के सभी जिलों में स्थायी लोक अदालत का गठन किया जा चुका है । यह अदालत जिला मुख्यालय में जहाँ जिला जज बैठते हैं कार्यरत है । इसके अलावा उच्च न्यायालय, पटना में भी समय-समय पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है । लोक अदालत में उन सभी दीवानी एवं फौजदारी मुकदमें (जो सुलह करने योग्य हों) का निपटारा होता है जो किसी न्यायालय में लम्बित हो या अभी किसी न्यायालय में ले जाना हो । कोई एक पक्ष या दोनों पक्ष के आवेदन पर मोकदमा लोक अदालत में भेजा जा सकता है । न्यायालय अपनी मर्जी से भी कोई मोकदमा लोक अदालत में भेज सकती है ।

जन उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना

1. बिहार राज्य के 09 प्रमंडलों में स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई है, जो संबंधित जिला के व्यवहार न्यायालय में स्थापित की गई है । 09 प्रमंडल जहाँ स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई है, वो निम्न है–पटना, गया, छपरा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णियाँ, सहरसा एवं मुंगेर ।
2. लोक उपयोगिता सेवा से अभिप्रेत है, कोई–
   - (i) वायु, सड़क या जल द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए परिवहन सेवा या;
   - (ii) डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा या;
   - (iii) किसी स्थापना द्वारा जनता को शक्ति, रोशनी या पानी की आपूर्ति या;
   - (iv) लोक स्वच्छता या स्वास्थ्य रक्षा की प्रणाली या;
   - (v) अस्पताल या डिस्पेंसरी में सेवा या;
   - (vi) बीमा सेवा ।

   और किसी ऐसी सेवा को शमिल किया जाता है जिसे केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जो भी स्थिति हो, लोकहित में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित कर सकें ।

लोक अदालत द्वारा मुकदमों के निपटारा में निम्नलिखित फायदे हैं

- ✶ **वकील पर खर्च नहीं होता ।**
- ✶ **कोर्ट-फीस नहीं लगता ।**
- ✶ **पुराने मुकदमें की कोर्ट-फीस वापस हो जाती है ।**
- ✶ **किसी पक्ष को सजा नहीं होती । मामले को बातचीत द्वारा सुलह से हल कर लिया जाता है ।**
- ✶ **मुआवजा और हर्जाना तुरत मिल जाता है ।**
- ✶ **मामले का निपटारा तुरंत हो जाता है ।**
- ✶ **सभी को आसानी से न्याय मिल जाता है ।**
- ✶ **फैसला अन्तिम होता है ।**
- ✶ **फैसला के विरूद्ध कहीं अपील नहीं होता है ।**

(देखें विनिमय संख्या 20) अनुसूची 'क'

विधिक सहायता देने हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम –
2. आवेदक के पिता/पति का नाम –
3. क्या आवेदक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है ? यदि हाँ, तो उपजाति का उल्लेख करें –
4. आवेदक का पेशा –
5. आवेदक का पता –
6. आवेदक का वार्षिक आय –
7. उस न्यायालय/अधिकरण का नाम जिसमें मामला संस्थित किया गया हो या लम्बित हो–
8. प्रतिवादी का नाम और पता –
9. विवाद का विषय-वस्तु –
10. उस अधिवक्ता का नाम जिसकी सेवा आवेदक लेना चाहेगा –
11. इसी विषय-वस्तु से संबंधित कोई कार्यवाही किसी न्यायालय/अधिकरण में संस्थित की गयी थी, यदि ऐसा हो तो उसका परिणाम –
12. किसी पूर्व अवसर पर किसी विधिक सहायता के लिए आवेदन दिया गया, प्राप्त हुआ या इनका किया गया था यदि ऐसा हो तो कार्यवाही और उसमें प्राप्त विधिक सहायता की विशिष्टयाँ दें :–

स्थान –
तारीख – **सत्यापन** **आवेदक का हस्ताक्षर**

अनुसूची 'ख'

विधिक सेवा प्राधिकार/समिति का कार्यालय प्रमाण–पत्र का प्रारूप

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी.....

.....

पिता/पति.....

निवासी.....

द्वारा भेजी गयी विशिष्टियों पर विधिक सेवा प्राधिकार/समिति उक्त आवेदक को मामला संख्या.....में विधिक सहायता देने का निर्णय लिया जो.....के न्यायालय में लम्बित/संस्थित किया गया है और आवेदक की इच्छानुसार श्री.....

.....अधिवक्ता को आवेदक की ओर से उक्त मामले में विनिमय, अधिनियम और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुसार संबंधित न्यायालय में उपस्थित होने और बहस करने हेतु नियुक्त किया गया है ।

स्थान – अध्यक्ष/सचिव
तारीख – विधिक सहायता प्राधिकार/समिति

मुद्रक : सत्या प्रिंट्स, पटना

विधिक सहायता एवं लोक अदालत

किसके लिए एवं क्यों ?

BIHAR STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL
PATNA

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार

बुद्धमार्ग, पटना संग्रहालय के सामने
पटना - 800 001
फोन : 0612-2230943, 0612-2234441
0612-2200366
फैक्स: 0612-2201390
Email : bslsa_87@yahoo.co.in
Website : bslsa.bih.nic.in
Toll Free No. : 15100

विधिक सहायता एवं लोक अदालत

किसके लिए एवं क्यों ?

वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 39क जोड़ा गया जिसके द्वारा शासन से अपेक्षा की गई कि वह यह सुनिश्चित करें कि भारत का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमताओं के कारण न्याय पाने से बंचित न रह जाये । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले 1980 में केन्द्र सरकार के निर्देश पर सारे देश में कानूनी सहायता बोर्ड की स्थापना की गई । बाद में इसे कानूनी जामा पहनाने हेतु भारत सरकार द्वारा विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 पारित किया गया जो 9 नवम्बर 1995 में लागू हुआ । इस अधिनियम के अन्तर्गत विधिक सहायता एवं लोक अदालत का संचालन का अधिकार राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को दिया गया । बिहार राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन 1997 में किया गया ।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त अथवा सेवारत न्यायाधीश और सदस्य सचिव के रूप में वरिष्ट जिला जज की नियुक्ति की जाती है । इसके अतिरिक्त महाधिवक्ता, सचिव वित्त, सचिव विधि, अध्यक्ष अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयोग, मुख्य न्यायाधीश जी के परामर्श से दो जिला न्यायाधीश, अध्यक्ष बार काउन्सिल, इस राज्य प्राधिकरण के सचिव सदस्य होते हैं और इनके अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से 4 अन्य व्यक्तियों को नाम – निर्दिष्ट सदस्य बनाया जाता है ।

इसी प्रकार प्रत्येक जिला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष संबंधित जिला के जिला जज हैं और सब-जज स्तर के एक न्यायिक अधिकारी को जिला प्राधिकरण का सचिव नियुक्त किया गया है । पुलिस अधीक्षक, जिला दण्डाधि कारी, अध्यक्ष, जिला बार एसोसियेशन, जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी, फौजदारी एवं राजस्व) जिला प्राधिकरण के पदेन सदस्य होते हैं । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से 2 अन्य सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया जाता है ।

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालय के संयुक्त निबंधक स्तर के एक अधिकारी को सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किये जाते हैं :–

1. पात्र व्यक्तियों को विधिक सेवा उपलब्ध कराना ।
2. लोक अदालतों का आयोजन करके सुलह समझौते के माध्यम से विवादों का निपटारा कराना ।
3. निवारक और अनुकूल विधिक सहायता कार्यक्रमों का संचालन करना ।
4. विधिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु अत्यधिक प्रभावी एवं कम खर्चीली योजनायें तैयार करके उन्हें क्रियान्वित करना ।
5. ग्रामीण क्षेत्रों, गन्दी बस्तियों या श्रमिक कालोनियों में समाज के कमजोर वर्गों को उनके विधिक अधिकारों की जानकारी देने हेतु विधिक शिविरों का आयोजन करना ।
6. पारिवारिक विवादों को सुलह समझौते के आधार पर निपटाना ।

विधिक सहायता

विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम-1987 और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, विनियम-1998 के अधीन विधिक सेवा प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रावधान बनाया गया है ।

कानूनी सेवा प्राप्त करने हेतु पात्रता

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो बिहार का मूल निवासी हो तथा किसी न्यायालय में लम्बित मामले का पक्षकार हो, विधिक सहायता का हकदार होगा यदि उसकी वार्षिक आय 1,50,000/- से अधिक न हो अथवा वह व्यक्ति –

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य हो या;
2. मनुष्यों या बेगार में अवैध व्यापार से आहत हो, जैसा संविधान के अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट है या;
3. महिला या बच्चा हो या;
4. एक किन्नर या;
5. एक वरीय नागरिक या;
6. एच०आई०वी० से संक्रमित या किसी प्रकार के कैंसर से ग्रस्त व्यक्ति या;
7. असंगठित क्षेत्र का एक कर्मकार या;
8. तेजाब हमले का पीड़ित व्यक्ति या;
9. ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 1,50,000/- रुपये से अधिक नहीं है या जो समय-समय पर नियत किया जाय या;

10. आय की सीमा के होते हुए भी, विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकार या राज्य प्राधिकार निम्नलिखित मामलों में विधिक सहायता प्रदान कर सकेगा :-
    (i) अति सार्वजनिक महत्व के मामले में या;
    (ii) ऐसे मामले में, जिसके निर्णय से समाज के कमजोर तबके से संबंधित अधिकाधिक व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना हो या;
    (iii) किसी अन्य मामले में, जिसमें अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से, कोई व्यक्ति विधिक सहायता का हकदार हो ।
11. अयोग्यताओं के साथ व्यक्ति (समान, अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का संख्यांक 1) की धारा 3 के खण्ड (i) की धारा 2 के खण्ड (ii) में परिभाषित अनुसार अयोग्यता वाला व्यक्ति हो या;
12. घोर विपत्ति, जातीय हिंसा, जातीय नृसंशता, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विपत्ति का आहत होते हुए नाहक आभाव की परिस्थितयों के अन्तर्गत व्यक्ति हो या;
13. एक औद्योगिक कर्मकार हो या;
14. अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियिम, 1956 (1956 का संख्यांक 104) की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ के भीतर संरक्षक गृह में अभिरक्षा या किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 2 के भीतर किशोर गृह में अभिरक्षा या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का संख्यांक 14) की धारा 2 के खण्ड (छ) के अर्थ के भीतर मनोविकार अस्पताल या मनोविकार नर्सिंग होम में अभिरक्षा सहित अभिरक्षा में हो या ।

विधिक सहायता का स्वरूप

निम्नलिखित में से सभी, किसी एक या एक से अधिक ढंग से विधिक सहायता प्रदान की जा सकती है :-

- किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में भुगतेय या उपगत प्रक्रिया फीस तथा अन्य सभी खर्च
- विधिक कार्यवाही में विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व,
- विधिक कार्यवाही में आदेशों की प्रमाणित प्रति और अन्य दस्तावेज प्राप्त करना,
- विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों का मुद्रण एवं अनुवाद सहित कागजात की पुस्तिका तैयार करना,

- कोई अन्य व्यय जिसे अध्यक्ष, विधिक सेवा समिति या प्राधिकार किसी खास मामले में स्वीकृत करना उचित समझे ।

किन मामलों में विधिक सहायता नहीं दी जाएगी

निम्नलिखित मामले में विधिक सहायता नहीं दी जाती है-

- मानहानि,
- विद्वेषपूर्ण अभियोजन,
- ऐसे कार्यवाही जिसमें व्यक्ति न्यायालय की अवमानना से आरोपित हो,
- किसी निर्वाचन से संबंधित कार्यवाही,
- ऐसे अपराधों से संबंधित कार्यवाही जो केवल 1000/रु० से अधिक जुर्माना से दण्डनीय नहीं हो,
- आर्थिक अपराधों और समाज कल्याण विधियों के विरुद्ध या नैतिक अद्यमता विषयक अपराधों से संबंधित कार्यवाहियाँ,
- जहाँ विधिक सहायता माँगने वाला व्यक्ति केवल पदीय हैसियत मे कार्यवाही से सबद्ध हो या मात्र औपचारिक पक्षकार हों,

विधिक सहायता प्राप्त करने की विधि

(i) विधिक सहायता या परामर्श प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला कोई व्यक्ति, यथास्थिति, सचिव, संबद्ध उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जिला प्राधिकार या अध्यक्ष अनुमंडल विधिक सेवा समिति को संबोधित, आवेदन कर सकेगा, किन्तु यदि आवेदक निरक्षर हो या वह आवेदन में अपेक्षित विशिष्टयों को भरने की स्थिति में न हो तो यथास्थिति, पूर्वोक्त समिति का सचिव या कोई अन्य पदाधिकारी, पदधारी या कोई विधि व्यवसायी, जिसका नाम पूर्वोक्त प्राधिकार/समिति के विधिक सहायता वकीलों के पैनल में हो, आवेदक से आवश्यक विवरण लेकर उसकी ओर से आवेदन तैयार करेगा तथा उसे पढ़कर तथा उसको समझाकर उस पर उसका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान प्राप्त कर लेगा । आवेदन विनिमय की अनुसूची 'क' में उपदर्शित प्रपत्र में होगा ।

(ii) विधिक सहायता के आवेदन के साथ एक शपथ-पत्र होगा, जिसे विधिक सहायता प्राप्त करने की पात्रता हेतु निर्णय करने के लिए तब तक यथेष्ट माना जायेगा, जब तक कि जिला प्राधिकार/समिति को ऐसे शपथ-पत्र पर विश्वास करने का कोई कारण न हो ।

(iii) संबद्ध प्राधिकार/समिति आवेदनों का एक रजिस्टर रखेगा जिसमें विधिक सहायता और परामर्श के सभी आवेदनों की प्रविष्टि की जाएगी तथा आवेदनों पर की गई कार्रवाई को ऐसे आवेदन से संबंधित प्रविष्टि के समक्ष लिखा जाएगा ।